राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक–न्याय/2018/7289

दिनांकः 20.12.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी/विविध/झाला/18/38315–16 दिनांक 24.11..2018 से पुलिस थाना घाटोली के अभियोग सं0 135/18 धारा 3/25, आर्म्स एक्ट में अभियुक्त पप्पू मोहम्मद पुत्र सलीम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी राडी के बालाजी रोड, नई बस्ती, झालावाड जिला झालावाड के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 13.0818 को श्री संजय कुमार, थानाधिकारी मय जाप्ता वास्ते गश्त ईलाका व चैकिग अवैध कार्य की रोकथाम हेतु एनएच 52 बाईपास पहुंचा जर्ये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति एक घंटे मे घाटोली आ रहा है, उसके पास अवैध हथियार हो सकते है। इस पर छापी डेम रोड पर माताजी के मंदिर के पास पहुंचकर आने व जाने वाहनो को रोककर चैकिग शुरू की गई। इस दौरान एक व्यक्ति होण्डा मोटरसायकल आरजे 17 एसक्यू 7041 से आया, जिसे रोकने का हाथ से इशारा किया तो मोटरसायकल छोडकर भागा हमराही जाप्ते की मदद से पकडा डिटेन कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पप्पू मोहम्मद पुत्र सलीम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी राडी के बालाजी रोड, नई बस्ती, झालावाड जिला झालावाड बताया। जिसके पास अवैध वस्तु होने का संदेह होने पर तलाशी ली तो सामने कमर पर एक देशी पिस्टल मय मैगजीन मिला, जिसको चैक किया तो मैग्जीन के अंदर एक जिंदा कारतूस 7.65 एमएम मिला फिर तलाशी लिए जाने पर कमर पीछे पेंट के अंदर छुपाई एक देशी पिस्टल मय मैगजीन मिली, जिसको चैक किया तो मैगजीन व चैम्बर दोनो खाली मिले। जिसको अपने कब्जे मे रखना या परिवहन करने के संबध मे अनुज्ञापत्र चाहा तो नही होना बताया। मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर वापसी थाने पर अपराध स0 135/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजिबद्ध कर अगुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसन्धान निरीक्षण घटना स्थल फरियादी व गवाहन के कथन लेखबद्व किये गये। अनसुंधान से अभियुक्त के विरूद्व 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया । उक्त जप्तशुदा दो पिस्टल एंव एक जिंदा कारतूस का आर्मोरर पुलिस लाईन द्वारा मेकेनिकल मुआयना करवाये जाने पर उन्होने अपनी रिपोर्ट मे दोनो देशी पिस्टल 7.65 एमएम फायर करने योग्य तथा फायर आर्म्स की जद मे आती है तथा एक जिंदा कारतूस एम्युनेशन की परिभाषा मे आता है। अभियुक्त के पास अनुज्ञापत्र होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ओमप्रकाश एएसआई थाना घाटोली व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सीलड दो देशी पिस्टल एंव एक कारतूस को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सीलड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त पप्पू मोहम्मद पुत्र सलीम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी राडी के बालाजी रोड, नई बस्ती, झालावाड जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड